संख्या–446/XVIII-(2)/F/12-2(11)/2010

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादून:दिनांक 21 दिसम्बर, 2012

विषयः– वरूणावत पर्वत उपचार कार्यो के अंतर्गत ताम्बाखानी सुरंग के अन्दर पेवमेंट, साइड ड्रेन, फुटपाथ एवं रेलिंग तथा ताम्बाखानी सुरंग में कंकरीट लाइनिंग का कार्य कराये जाने हेतु प्रथम किस्त के रूप में धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1528, दिनांक 26.07.2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वरूणावत पर्वत उपचार कार्यो के अंतर्गत ताम्बाखानी सुरंग के अन्दर पेवमेंट, साइड ड्रेन, फुटपाथ एवं रेलिंग तथा ताम्बाखानी सुरंग में कंकरीट लाइनिंग आदि का कार्य कराये जाने हेतु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा गठित आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन कमशः ₹ 219.04 लाख व ₹ 1144.21 लाख के सापेक्ष टी.ए.सी. द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरान्त कमशः ₹ 208.50 लाख एवं ₹ 1113.50 लाख कुल ₹ 1322.00 लाख (₹ तेरह करोड़, बाइस लाख मात्र) की धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गई है। प्रश्नगत प्रकरण में टी.ए.सी. द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गई ₹ 1322.00 लाख की धनराशि के सापेक्ष **प्रथम किस्त** के रूप में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ₹ 950.00 लाख (₹ नो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

2– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

3– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

4– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।

5– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-129 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

7– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

कृपया:–2

8– भविष्य में यदि प्रांकलन का पुनरीक्षण किया जाता है तो अतिरिक्त पुनरीक्षित लागत पर कोई सेन्टेज देय नहीं होगा।

9– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो हेतु किया जायेगा, जिन कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे।

10– उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य समाप्त होने पर यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को वापस कर दिया जायेगा।

11– उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भविष्य में आपदा प्रबन्धन विभाग से कोई भी किसी भी प्रकार का आर्वतक व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

12– स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रति त्रैमास व कार्य पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

13– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान संख्या 06 लेखाशीर्षक 4059–लो0नि0कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं –0101– वरूणावत पर्वत उत्तरकाशी का स्थिरीकरण (100% के0स0)–24 वृहत निर्माण कार्य की मद के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–72 P/वित्त अनु0–5/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव

संख्या–446(1)/XVIII-(2)/F/12-2(11)/2010, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
4– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, देहरादून।
6– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8– कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
10– निजी सचिव, मा0 मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
11– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव